प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 30.04.2026

दबिश के दौरान 08 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 01.अच्छेलाल पुत्र राजकुमार निवासी तुलसीपुर थाना मेंहदावल 02. शिवकुमार पुत्र रामभोग निवासी तुलसीपुर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, कां0 अंकेश यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 01.वेदी पुत्र स्व0 मेवालाल साकिन नाथनगर थाना महुली 02. राजू पुत्र स्व0 मेवालाल साकिन नाथनगर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जयहिन्द, हे0का0 श्रीकान्त यादव ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्त 01. कुतुबुद्दीन पुत्र अब्दुल मजीद निवासी गिरधरपुर 02. भोलानाथ पुत्र पंचराम निवासी पचपेड़वा 03. रामललित पुत्र अयोध्या निवासी देवरिया गंगा 04. शोभनाथ पुत्र स्व0 बुझावन निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री रामजतन प्रजापति, उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 दीपचन्द राजभर, का0 विजय कुशवाहा, का0 लालचन्द।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 238 वाहनों से 2,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 30.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 238 वाहनों से 2,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस की त्वरित कार्रवाई: बाजार से बिछड़ी 03 वर्षीय मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे सुरक्षा एवं त्वरित सहायता अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए बाजार से गुम हुई एक 03 वर्षीय बालिका को मात्र कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर उसकी माता को सुपुर्द किया गया।

आज दिनांक 30.04.2026 को श्रीमती पिंकी देवी पत्नी अमरनाथ निवासी ग्राम कोहरियावाँ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर सूचना दी गयी कि वह अपनी 3 वर्षीय पुत्री आराध्या के साथ सेमरियावाँ बाजार में सामान खरीदने आई थीं। खरीदारी के दौरान व्यस्तता के कारण उनकी पुत्री अचानक कहीं ओझल हो गई। काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का पता न चलने पर व्याकुल माता द्वारा तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई। डायल 112 के कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की जानकारी प्रभारी निरीक्षक दुधारा श्री अरविन्द शर्मा को दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द शर्मा द्वारा तत्काल एक टीम गठित की गई। टीम में शामिल उ0नि0 श्री शोभनाथ एवं हे0का0 रामविनय यादव ने बिना समय गंवाए बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस टीम के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप गुमशुदा बालिका आराध्या को बाजार के समीप से ही सकुशल बरामद कर लिया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात बच्ची को उसकी माता श्रीमती पिंकी देवी को सुपुर्द किया गया। अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाकर परिजनों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने दुधारा पुलिस की इस कार्यप्रणाली एवं संवेदनशीलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।